न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-512RAAJodhpur2022-318RTA225 Smt. Bheekhee devi Vs Archana etc

श्रीमती भीखी देवी पत्नी अणदाराम, जाति जाट, निवासी-ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. अर्चना पुत्री खेताराम
02. दुर्गाराम पुत्र खेताराम
03. खेताराम पुत्र श्री सुरजाराम उर्फ सूजाराम
04. चून्नीदेवी पुत्री खेताराम
05. खुशालाराम पुत्र खेताराम
06. उतमाराम पुत्र श्री भगवानाराम
07. चोलाराम पुत्र भगवानाराम
08. जेती पुत्री भेराराम
09. मालाराम पुत्र हेमाराम
10. रेंवतराम पुत्र सुरजाराम
11. सुखाराम पुत्र भगवानाराम

    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- जसनाथबाड़ी, पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2022 अर्चना व अन्य बनाम खेताराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बी. आर. विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अर्जुनसिंह चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या1, 2, 5, 7 व 9
श्री महेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 03

23.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री वी.एस. चूण्डावत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 04
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12

नि र्ण य

दिनांक : 23 फरवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2022 अनवान अर्चना व अन्य बनाम खेताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 585, 585/1 ग्राम जगदम्बानगर, खसरा नं. 483/4, 483/6, 483/1 ग्राम जसनाथ बाड़ी तहसील तिवंरी के संबंध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 फरवरी 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी की पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खरीददार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है।

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है और रेस्पोडेंट्स संख्या एक व दो का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज है। रेस्पो संख्या एक व दो द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी का विभाजन चाहा है जो कानूनन मेंटेनेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया होने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थीनी द्वारा जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 फरवरी 2022 को खारिज फरमाया जावे

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुस्पष्ट विधिक प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट नामांतरकरण की कार्यवाही करवाकर कर वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

23-2-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विचारण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा का मूल वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने तथा उसमें रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का हक-हिस्सा निहित होने का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में बाद तनकीयात कायमी, उभय पक्ष की साक्ष्य आदि ली जाकर तय किया जाना है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर